प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्रीमान धीरेंद्र मिश्रा

एवं माननीय श्रीमान आर. एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण

प्रथम अपील क्रमांक 159/2009

अपीलार्थीगण — महेश कुमार अग्रवाल एवं अन्य

(वादीगण)

बनाम

उत्तरवादी — दिनेश कुमार चौकसे और अन्य

(प्रतिवादीगण)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार के लिए निर्णय

धीरेंद्र मिश्रा,

न्यायाधीश

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति आर. एन. चंद्राकर — आर. एन. चंद्राकर,

मै सहमत हूं ।

न्यायाधीश

17-11-2009 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें ।

धीरेंद्र मिश्रा,

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय श्रीमान धीरेंद्र मिश्रा

एवं माननीय श्रीमान आर. एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण

प्रथम अपील क्रमांक **159/2009**

अपीलार्थीगण

(वादीगण)

1. महेश कुमार अग्रवाल, पिता स्वर्गीय हरचंद राय, उम्र 55 वर्ष, वृत्ति व्यवसाय, निवासी इंदु चौक, जरहाभाटा, बिलासपुर (छ.ग.)
2. ईश्वर लाल, उम्र 57 वर्ष, पिता स्वर्गीय हरचंद राय अग्रवाल, वृत्ति व्यवसाय, निवासी खरसिया, तहसील एवं जिला रायगढ़ (छ.ग.)
3. श्रीमती. शकुंतला, पति श्री सीताराम, उम्र 58 वर्ष, निवासी बिल्हा, तहसील बिल्हा, जिला. बिलासपुर (छ.ग.)
4. श्रीमती. राधा बाई, पति नरसिंह लाल, उम्र 56 वर्ष, वृत्ति व्यवसाय, निवासी संबलपुर, तहसील-जिला संबलपुर (उड़ीसा)
5. श्रीमती कुसुम बाई, पति श्री नरेश कुमार, उम्र 50 वर्ष, निवासी रायगढ़, तहसील-जिला रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

6. श्रीमती. प्रेमलता, पति श्री संतोष कुमार, उम्र 47 वर्ष, निवासी संबलपुर, संबलपुर, तहसील-जिला संबलपुर (उड़ीसा)
7. श्रीमती लता, पति श्री गोविंद राम, उम्र 44 वर्ष, निवासी खरसिया, तहसील-जिला रायगढ़ (छ.ग.)
8. पुरूषोत्तम लाल, पिता स्वर्गीय हरचंद राय, उम्र 53 वर्ष, वृत्ति व्यवसाय, निवासी खरसिया, तहसील-जिला रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

<u>उत्तरवादी</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दिनेश कुमार चौकसे, पिता राम दयाल चौकसे, उम्र 50 वर्ष, वृत्ति व्यवसाय, निवासी टिकरापारा, रामदास नगर, बिलासपुर, तहसील-जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. मुकेश कुमार चौकसे, पिता राम दयाल चौकसे, उम्र 48 वर्ष, वृत्ति व्यवसाय, निवासी टिकरापारा, रामदास नगर, बिलासपुर, तहसील-जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. अशोक कुमार गांधी, उम्र 50 वर्ष।
4. राजकुमार गांधी, उम्र 46 वर्ष।
5. विजय कुमार गांधी, उम्र 40 वर्ष

(3 से 5 तक के पिता दर्शन लाल गांधी, निवासी बैंक ऑफ इंडिया के सामने, दयालबंध, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

6. छत्तीसगढ़ शासन, कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)

द्वारा।

उपस्थित:

श्री अली असगर, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री प्रशांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री वरुणेन्द्र मिश्रा, के साथ **उत्तरवादी** क्र 1 के अधिवक्ता।

श्री संजय के अग्रवाल, अधिवक्ता, श्री सौरभ शर्मा, के साथ **उत्तरवादी** क्र 2 के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री मनोज परांजपे, **उत्तरवादी** क्र 3 से 5 के अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, **उत्तरवादी** क्र 6 के लिए शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(11/11/2009 को पारित)

धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

1) यह प्रथम अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'व्य. प्र. सं.') की धारा 96 के अंतर्गत सिविल वाद क्र 5ए/2009 में पारित आदेश दिनांक 25.9.2009 के विरुद्ध है, जिसके तहत विद्वान अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने दो अलग-अलग आवेदनों को स्वीकार करते हुए, जिनमें से एक आवेदन **उत्तरवादी** क्र 2 द्वारा तथा दूसरा **उत्तरवादी** क्र 3 से 5 द्वारा व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, अपीलार्थीगण के वाद को खारिज कर दिया है।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

2) अपील के पक्षकारों को इसके बाद उनकी निचली अदालत के समक्ष की स्थिति के अनुसार संदर्शित किया जाएगा।

3) संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि वादीगण ने 17.3.2008 को एक व्यवहार वाद दायर किया और प्रतिवादी क्र 2 से 5 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया कि वे प्रतिवादी क्र 1 से वादीगण द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने में व्यक्तिगत रूप से या अन्य लोगों की सहायता से कोई बाधा उत्पन्न न करें और इसके अतिरिक्त, उन्हें वादग्रस्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित करने से रोका जाए। प्रतिवादी क्र 1 ने 23.4.2008 को जवाब दावा दायर किया, जबकि प्रतिवादी क्र 3 से 5 ने 18.6.2008 को अपना जवाब दावा दायर किया। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, वादीगण ने 22.12.2008 को 'व्य. प्र. सं. की धारा 151 के साथ आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत एक आवेदन (आई.ए. क्र 9) दायर किया और अनुतोष खंड में संशोधन का प्रार्थना की, कि सिविल वाद क्र 1-ए/07 में पारित आदेश दिनांक 24.5.2008, उसका 18.6.2008 का संशोधन और अन्य परिणामी आदेश अमान्य हैं क्योंकि ये अवैध तरीकों से प्राप्त किए गए हैं और वादीगण पर बाध्यकारी नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने संशोधन आवेदन पर अपना जवाब पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद, प्रतिवादी क्र 2 और प्रतिवादी क्र 3 से 5 ने क्रमशः 26.8.2009 और 4.9.2009 को 'व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे को खारिज करने के लिए दो अलग-अलग आवेदन दायर किए। इन आवेदनों को निचली अदालत ने 25.9.2009 के विवादित आदेश के तहत स्वीकार कर लिया और मुकदमा खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अली असगर ने प्रस्तुत किया कि वादपत्र (आईए क्र 9) में संशोधन के लिए आवेदन पर निर्णय लिए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया, जो 22.12.2008 को दायर किया गया

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

था। उपरोक्त आवेदन द्वारा वादी ने प्रतिवादी क्र 2 द्वारा प्रतिवादी क्र 3 से 5 के विरुद्ध 8.5.2008 को प्राप्त की गई कपटपूर्ण डिक्री को आक्षेपित किया है और वादी ने घोषणा और आधिपत्य की डिक्री के लिए भी प्रार्थना की है। चूंकि वाद 17.3.2008 को दायर किया गया था और कपटपूर्ण डिक्री बाद में प्राप्त की गई थी, वादी का संशोधन के लिए आवेदन (आईए क्र 9) बाद की घटनाओं पर आधारित था। वादी द्वारा इसी प्रकार की संशोधन के लिए पहले किए गए आवेदनों को 17.11.2008 के आदेश के तहत वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया था और संशोधन के लिए विस्तृत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। तथापि, मामले को दिनांक 18.3.2009 से 16.6.2009 के बीच पांच बार स्थगित किया गया, क्योंकि न्यायालय में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वाद को 27.6.2009 को विद्वान अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। वादी ने 'व्य. प्र. सं. की धारा 151 के तहत दिनांक 10.7.2009 को आवेदन दायर कर निचली अदालत के ध्यान में लाया कि वादी ने पहले ही 'व्य. प्र. सं. की धारा 24 के तहत मामले को लंबित निर्णय के लिए स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर कर दिया है और उस आवेदन पर निर्णय होने तक मामले की कार्यवाही रोक दी जाए। निचली अदालत ने दिनांक 17.7.2009 के आदेश के तहत पाया कि यदि वादी इस आवेदन के समर्थन में कोई दस्तावेज या हलफनामा दाखिल करते हैं, तभी प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है। वादी ने 'व्य. प्र. सं. की धारा 24 के तहत दायर आवेदन की प्रति एक हलफनामे के साथ दाखिल की, हालांकि, दिनांक 04.08.2009 के आदेश द्वारा प्रार्थना को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि आवेदन की प्रति से यह पता नहीं चलता कि इसे विद्वान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दायर किया गया है या नहीं। यह भी कहा गया है कि चूँकि मामला अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है और अभी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

अंतरिम चरण में है, इसलिए कार्यवाही पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। स्थानांतरण याचिका के लंबित होने के आधार पर वादी द्वारा स्थगन के लिए बाद में किया गया आवेदन भी खारिज कर दिया गया।

प्रतिवादियों ने मुकदमा दायर करने के लगभग डेढ़ साल बाद, 'व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत क्रमशः 26.8.2009 और 4.9.2009 को मुकदमा खारिज करने के लिए आवेदन दायर किए और निचली अदालत ने 25.9.2009 के आक्षेदित आदेश के तहत उन्हें स्वीकार कर लिया। वादी ने 'व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदनों के अपने उत्तर में उल्लेख किया था कि मुकदमे में संशोधन के लिए आदेश 6 नियम 17 के तहत उनका आवेदन लंबित है। संशोधन आवेदन के लंबित रहने का संदर्भ विवादित आदेश में मिलता है। विवादित आदेश, 'व्य. प्र. सं. की धारा 24 के तहत स्थानांतरण आवेदन के विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित रहने के दौरान पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गगनमल रामचंद विरुद्ध हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन [एआईआर (37) 1950 बॉम्बे 345] के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का अवलंब लेते हुए, यह तर्क दिया गया कि वाद को 'व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया जा सकता है, जिसमें कार्रवाई का कारण स्पष्ट नहीं है या यदि वादी द्वारा दावा किया गया स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष वादी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य का अनुतोष न मांगे जाने के कारण नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय आदेश 6 नियम 17 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके और वाद को संशोधित करने की अनुमति देकर वादपत्र में दलीलों में संशोधन की अनुमति नहीं दे सकता है जो वादपत्र को खारिज होने से बचा सकता है।

विद्वान निचली अदालत ने 'व्य. प्र. सं. के आदेश 2 नियम 2 के तहत मुकदमा खारिज कर दिया है, हालांकि प्रतिवादीगण ने मुकदमे को खारिज करने

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

के लिए आदेश 7 नियम 11 'व्य. प्र. सं. के तहत अपने आवेदनों में 'व्य. प्र. सं. के आदेश 2 नियम 2 के तहत उपलब्ध कोई आधार नहीं उठाया है।

5) प्रतिवादी क्र 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय के अग्रवाल ने 'व्य. प्र. सं. की धारा 96 और 105 (1) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि धारा 96 के अंतर्गत आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री पर लागू नहीं होता है, जबकि धारा 105 (1) में यह प्रावधान है कि जहाँ किसी डिक्री के विरुद्ध किसी आदेश में किसी त्रुटि, दोष या अनियमितता के कारण अपील की जाती है, जो मामले के निर्णय को प्रभावित करती है, उसे अपील ज्ञापन में आपत्ति का आधार बनाया जा सकता है। चूँकि वर्तमान मामले में निचली अदालत द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है, जो निचली अदालत द्वारा मामले के निर्णय को प्रभावित कर सकता हो, वादी को यह आधार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि संशोधन आवेदन (आईए क्र. 9) पर निर्णय न होने से विवादित आदेश अमान्य हो गया है, क्योंकि आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत संशोधन आवेदन पर निर्णय न लेना 'व्य. प्र. सं. की धारा 105 (1) के अर्थ में आदेश नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि वादीगण द्वारा दिनांक 25.8.2008 को समान राहत की मांग करते हुए संशोधन के लिए किया गया पूर्व आवेदन दिनांक 17.11.2008 के आदेश के तहत वादीगण को कोई स्वतंत्रता दिए बिना वापस ले लिया गया था, इसलिए वादीगण को समान कथनों को उठाते हुए आदेश 6 नियम 17 के तहत समान आवेदन दायर करने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) दूसरी ओर, प्रतिवादी क्र 3 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री परांजपे ने दृढ़ता से तर्क दिया कि शिकायत के पैरा-24 के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी के पास सिविल मुकदमा दायर करने के लिए कोई कार्रवाई का कारण नहीं उठता। निचली अदालत ने 24-5-2008 को अस्थायी निषेधाज्ञा का

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

आदेश पारित किया। वादी ने 'व्य. प्र. सं. के आदेश 6 नियम 17 (आईए क्र 6) के तहत एक आवेदन दायर किया, हालांकि, वादी सिविल सूट नंबर 1-ए/07 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 8-5-2008 को अपास्त करने के लिए कोई राहत नहीं मांग रहे हैं। हालांकि वादी ने संशोधन के लिए प्रार्थना की है और आधिपत्य से अनुतोष माँगा है, हालांकि, कोर्ट फीस के भुगतान के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर अनुतोष का मूल्यांकन नहीं किया गया है। चूंकि वादीगण ने स्वयं संशोधन के लिए अपने आवेदन पर जोर नहीं दिया और अंततः 'व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदनों पर बहस करने के लिए सहमति व्यक्त की, इसलिए उन्हें यह आधार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि निचली अदालत आई.ए. संख्या 9 पर निर्णय लिए बिना 'व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे को खारिज नहीं कर सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमने विचारण न्यायालय के अभिलेख तथा आक्षेपित आदेश का भी अवलोकन किया है।

8) निस्संदेह, 17.3.2008 को वाद दायर करने के बाद, प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दाखिल किए गए हैं। विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 24.5.2008 के तहत वादी के पक्ष में एक अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे वादग्रस्त संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या हस्तांतरित न करें। अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद में संशोधन हेतु प्रस्तुत अंतरिम आवेदन (आई.ए. क्र 6 और 7) को विस्तृत संशोधन आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने का अनुरोध किया गया था और 17.11.2008 के आदेश के तहत प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी और उसके बाद वादी ने 28.12.2008 को आई.ए. क्र 9 प्रस्तुत की। प्रतिवादियों ने उक्त आवेदन का उत्तर पहले ही दाखिल कर दिया है। संशोधन आवेदन (आईए क्र 9) के पैरा-14 में, वादीगण ने अनुतोष खंड में यह

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

अनुतोष शामिल करने का प्रस्ताव रखा है कि 'दीवानी वाद क्र 1ए/07 में प्रतिवादी क्र 2 के पक्ष में पारित डिक्री और परिणामी नामांतरण आदेश अमान्य है क्योंकि ये अवैध तरीकों से प्राप्त किए गए हैं।' वादपत्र के मुख्य भाग में भी इसी प्रकार के संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। वादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति पर घोषणा की डिक्री और रिक्त आधिपत्य की भी प्रार्थना की है।

विद्वान विचारण न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश में, वादी द्वारा व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों पर प्रस्तुत उत्तर का उल्लेख करते हुए, उल्लेख किया है कि वादी ने परिवर्तित परिस्थितियों के आलोक में वादपत्र में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर निर्णय हो चुका है और इसलिए, इस आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। तथापि, आवेदन को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार कर लिया गया है कि वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अधीन है; वादी ने स्वीकार किया है कि वादाधीन संपत्ति पर उनका आधिपत्य नहीं है और उन्होंने आधिपत्य से छूट की भी प्रार्थना नहीं की है। अतः, वादपत्र में सभी छूटों को शामिल न करने के कारण व्य. प्र. सं. के आदेश 2 नियम 2 के आलोक में वाद को खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) प्रतिवादीगण के विद्वान वकील का यह तर्क कि वादी द्वारा कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करने वाले पूर्व आवेदन 17.11.2008 को खारिज कर दिए गए थे और इसलिए, संशोधन के लिए बाद के आवेदन यानी आई.ए. क्र नंबर 9 पर विचार नहीं किया जा सकता, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 17.11.2008 के आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि संशोधन के आवेदन को खारिज करने की मांग की गई थी क्योंकि नए संशोधन के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और वादी की इस प्रार्थना को अनुमति दी गई थी और इसके बाद, संशोधन के लिए आवेदन (आई.ए. क्र 9) 17.12.2008 को दायर किया गया था। **I.A.** नंबर 9 में प्रस्तावित संशोधनों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

कि वादी ने वादपत्र में अन्य राहतों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें डिक्री की घोषणा करने की राहत भी शामिल है, जिसे बाद में प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में पारित किया गया है, शून्य और मुकदमे की संपत्ति पर आधिपत्य के लिए भी प्रार्थना की है। निचली अदालत के आदेश पत्रों के अवलोकन से, हमें पता चलता है कि प्रतिवादियों ने संशोधन हेतु आवेदन पर विस्तृत उत्तर दाखिल कर दिया है और इसी बीच, वादीगण ने विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष व्य. प्र. सं. की धारा 24 के अंतर्गत मुकदमे के स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और उन्होंने इस आधार पर मामले के स्थगन की भी मांग की कि उनका स्थानांतरण आवेदन लंबित है। हालाँकि, स्थगन की प्रार्थना निचली अदालत द्वारा अस्वीकार कर दी गई और उसके बाद ही व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए गए और उन्हें आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) इसलिए, हमारा मानना है कि निचली अदालत को मामले को आगे बढ़ाने से पहले संबंधित पक्षों की ओर से किसी भी आधार पर स्थानांतरण याचिका दायर करने और उसके परिणाम के बारे में सत्यापन कर लेना चाहिए था।

11) वादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 'व्य. प्र. सं. के अंतर्गत आवेदन पर दिए गए उत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने वादपत्र में संशोधन हेतु आवेदन के लंबित होने की बात निचली अदालत के ध्यान में लाई थी, तथापि, आक्षेपित आदेश इस बात पर मौन है कि आदेश 7 नियम 11 'व्य. प्र. सं. के अंतर्गत प्रतिवादियों के आवेदन पर विचार करते समय उपरोक्त आपत्ति पर विचार क्यों नहीं किया गया। हम प्रतिवादी क्र 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि संशोधन हेतु आवेदन पर निर्णय न होना व्य. प्र. सं. की धारा 96 के अंतर्गत नियमित अपील का आधार नहीं बन सकता। व्य. प्र. सं. की धारा 105(1) इस प्रकार है:-

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

"105. अन्य आदेश.- (1) अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, किसी न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक या अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी; किन्तु, जहां किसी डिक्री के विरुद्ध अपील की जाती है, वहां किसी आदेश में कोई त्रुटि, दोष या अनियमितता, जो मामले के निर्णय को प्रभावित करती है, अपील के ज्ञापन में आपत्ति के आधार के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।"

12) वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है कि यह वादी की इस आपत्ति पर विचार किए बिना पारित किया गया है कि 'व्य. प्र. सं. के आदेश 7, नियम 11 के तहत आवेदनों पर वादपत्र में संशोधन के लिए उनके लंबित आवेदन पर निर्णय लिए बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता। आक्षेपित आदेश पारित करते समय वादी की उपरोक्त आपत्ति पर विचार न करना एक अनियमितता है जिसने मामले के निर्णय को प्रभावित किया है और इसलिए, इस तर्क में कोई दम नहीं है कि इसे 'व्य. प्र. सं. की धारा 105(1) के तहत अपील का आधार नहीं बनाया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) गगनमल रामचंद के मामले (प्रेवर्णित) में प्रतिवादियों द्वारा आदेश 7 नियम 11 'व्य. प्र. सं. के तहत इस आधार पर वाद पत्र को खारिज करने की मांग की गई थी कि इसमें कार्रवाई का कारण नहीं बताया गया है। प्रतिवादियों का तर्क, जो 'व्य. प्र. सं. के आदेश 7 नियम 11 पर आधारित था, कि जब कोई वाद न्यायालय के समक्ष आता है और वह वाद पत्र के कारण का खुलासा नहीं करता है, तो न्यायालय के लिए उस वाद पत्र को अस्वीकार करना और वाद पत्र को खारिज करना अनिवार्य है और न्यायालय के पास वाद पत्र में संशोधन की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है, बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निरस्त कर दिया गया और यह माना गया कि "मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि न्यायालय की अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने की शक्ति किसी भी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

तरह से आदेश 07 नियम 11 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित क्यों होनी चाहिए। यह पूरी तरह से सच है कि न्यायालय के लिए उस वाद पत्र को अस्वीकार करना आवश्यक है जो वाद पत्र के कारण का खुलासा नहीं करता है, लेकिन वह वाद पत्र को इस प्रकार संशोधित करने की अनुमति नहीं दे सकता कि वह वाद कारण का खुलासा हो सके। केवल तभी जब कोई वाद पत्र के कारण का खुलासा नहीं करता है, न्यायालय को आदेश 07 नियम 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। लेकिन न्यायालय आदेश 07 नियम 11 के संचालन को रोक सकता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके तथा आदेश 6 नियम 17 के तहत वाद पत्र को संशोधित करने की अनुमति देकर वाद पत्र को खारिज होने से बचा सकता है।

14) हम उपरोक्त निर्णय में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत से सम्मानपूर्वक सहमत हैं और हम मानते हैं कि निचली अदालत का कर्तव्य था कि वह वाद को खारिज करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा बाद में प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 'व्य. प्र. सं. के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने से पहले वादी द्वारा 28.12.2008 को दायर वाद पत्र में संशोधन के लिए आवेदन (आईए क्र 9) पर निर्णय ले।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) उपर्युक्त विवेचना के आधार पर, अपील स्वीकार की जाती है और दिनांक 25.9.2009 (अनुलग्नक पी-3) का आक्षेपित आदेश, जिसके तहत वादीगण का वाद एक प्रारंभिक बिंदु पर खारिज कर दिया गया था, एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। हम इस मामले को निचली अदालत को इस निर्देश के साथ वापस भेजते हैं कि वह पहले वादीगण द्वारा दायर दिनांक 22.12.2008 (आईए क्र 9) के आवेदन पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद निर्णय ले और उपरोक्त आवेदन पर निर्णय लेने के बाद, प्रतिवादियों द्वारा 'व्य. प्र. सं.

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत दायर आवेदनों पर नए सिरे से निर्णय लिया जाए।

16) कार्यवाही के लिए पक्षकार 30 नवम्बर, 2009 को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हों।

17) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/- सही/-

धीरेंद्र मिश्रा, आर. एन. चंद्राकर,

न्यायाधीश न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अस्वीकरणः</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by- Priyanshu Gupta